न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

विविध प्रकरण कमांक 2139–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 98/अन्तरण/14–15.

.....

1–छोटेलाल गर्ग तनय श्री तिलकधारी राम गर्ग
निवासी ग्राम–कबरा, तहसील सिरमौर जिला रीवा, मध्य प्रदेश,
.....आवेदक

विरूद्ध

1–देवेन्द्र प्रसाद गर्ग पिता श्री छोटेलाल गर्ग
निवासी ग्राम खैर तहसील सिरमौर जिला रीवा, मध्य प्रदेश,
.....अनावेदक

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय पाण्डेय, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.10.2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह विविध प्रकरण म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 29 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण कमांक–98/अन्तरण/14–15 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक–39/अ–6/2013–2014 को अन्य पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित कराये जाने के लिए अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा

29 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक के प्रस्तुत अंतरण आवेदन को अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक–10.06.15 से खारिज किया गया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह विविध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक देवेन्द्र आवेदक छोटेलाल का पुत्र है छोटेलाल के तीन पुत्र है । छोटेलाल के भाई विश्वम्भर प्रसाद की मृत्यु उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक–22.04.2007 को हुई थी । देवेन्द्र प्रसाद ने तहसीलदार के समक्ष उसके (देवेन्द के) पक्ष में विश्वम्भर प्रसाद द्वारा की गयी वसियत दिनांक–23.04.06 के आधार पर दिनांक–31.07.2014 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय में विषयांकित प्रकरण संस्थित हुआ । इस आवेदन में देवेन्द्र ने छोटेलाल को अनावेदक बनाया था ।

4/ तहसील न्यायालय की कार्यवाही के मध्य छोटेलाल ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रकरण को अन्य पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में अंतरित करने का आवेदन लगाया । इस आधार पर दिनांक–19.05.2015 को तहसील न्यायालय का प्रकरण अपर आयुक्त न्यायालय रीवा को भेजा गया । दिनांक–10.06.2015 को अपर आयुक्त ने आपने आदेश से इस अंतरण आवेदन को निरस्त किया एवं दिनांक–12.06.15 को प्रकरण तहसील न्यायालय पुनः पहुंचा । तहसील न्यायालय में आगे कार्यवाही चल रही थी, जिस मध्य नस्ती राजस्व मण्डल की ओर दिनांक–05.08.2015 को इस प्रकरण में विचार हेतु भेज दी गयी ।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । ऐसा करने पर मैं निम्न बिन्दु टीप करता हूं :–

1. देवेन्द्र ने तहसील के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक–31.07.2014 में छोटेलाल को अनावेदक बनाया । अतः वह प्रथमदृष्ठया चोरी छिपे नामांतरण नहीं कराने का प्रयास कर रहा था ।
2. वह न्यायालय में छोटेलाल के पक्ष को तलब करने हेतु दिनांक–31.07.2014 से 04.03.2015 तक लगभग 9 पेशियां बढी, जिसके बाद छोटेलाल के अधिवक्ता दिनांक–12.03.2015 को पहली बार उपस्थित हुए, अर्थात तहसीलदार ने अनावेदक को न्यायालय में बुलाने के लिए समुचित प्रयास करके उन्हें उपस्थित कराया ।
3. दिनांक–19.03.2015 को देवेन्द्र के पक्ष द्वारा छोटेलाल के पक्ष को दावे एवं कागजात नहीं प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने देवेन्द्र के पक्ष के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की चेतावनी आर्डरशीट पर उल्लेखित की ।
4. तहसीलदार ने देवेन्द्र के पक्ष के विरूद्ध :–
   (अ) दिनांक–23.3.2015 को रूपये 500/–
   (ब) दिनांक–30.04.15 को रूपये 50/–
   (स) दिनांक–16.06.2015 को रूपये 50/– का हर्जाना अधिरोपित किया ।

6/ उपरोक्त तथा तहसील न्यायालय की अन्य रिकार्ड पर उपलब्ध अनुवृत्तियों के अवलोकन के फलस्वरूप मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि राजस्व मण्डल के समक्ष आवेदक छोटेलाल द्वारा लगाया संहिता की धारा 29 का आवेदन बगैर समुचित आधारों के लगाया गया है । तहसीलदार पर देवेन्द्र के प्रभाव में होने संबंधी जो आरोप छोटेलाल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लगाया गया है उसे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है । देवेन्द्र ने तहसीलदार के समक्ष शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक–4.3.15 को आवेदन प्रस्तुत किया था । इसके प्रकाश में त्वरित न्यायिक निर्णय देने के उद्येश्य से कम अंतराल पर पेशियां लगाने की कार्यवाही को गलत नहीं ठहराया जा सकता । माह जुलाई 2015 के तहसील न्यायाल के अनुवृत्ति पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि देवेन्द्र द्वारा प्रस्तुत वसियतनामे के परीक्षण हेतु छोटेलाल

द्वारा प्रस्तुत आवेदन को तहसीलदार द्वारा रिकार्ड पर लिया गया एवं उभयपक्ष को अवसर देते हुए उस पर विचार किया गया ।

अतः छोटेलाल का (इस न्यायालय को प्रस्तुत अपने आवेदन के पैरा 3 में) यह कहना कि "उन्होंने आवेदन दिया किन्तु आवेदन ही नहीं लिए" रिकार्ड के अनुसार सही नहीं है ।

7/ मेरे द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–10.06.2015 का भी अवलोकन किया गया तथा मैं उनके अंतरण आवेदन को निरस्त करने के निर्णय से सहमत हूं ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मेरे द्वारा इस न्यायालय के समक्ष छोटेलाल द्वारा सहिता की धारा 29 के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरण आवेदन निरस्त किया जाता है । तहसील न्यायालय की कार्यवाही विधिवत आगे बढायी जावे । यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश
ग्वालियर